234

निगरानी 775-III-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–उमरिया

राजाराम हरवानी पुत्र श्री ऑयलदास हरवानी निवासी–शिव टॉकीज के पास, उमरिया जिला–उमरिया (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

जानकी खट्टर पत्नी श्री शम्भू खट्टर निवासी – पुराना, पड़ाव उमरिया, जिला–उमरिया (म.प्र.)

.....अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ जिला उमरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 6851/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1– यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ जिला उमरिया द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया है वह अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ जिला उमरिया द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही एवं आपत्तियों का विधिवत् निराकरण किये बिना ही जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के समक्ष आवेदक की और से स्पष्ट आपत्ति इस आशय से प्रस्तुत की गयी थी, कि अनावेदिका जानकी खट्टर का जाति प्रमाण पत्र राजस्व प्रकरण क्रमांक 1124/बी–121/2012–13 दिनांक 29.12.2012 को जारी किया गया है। जोकि अधिकारिता रहित है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ को उक्त प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकारिता ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकारिता के वैधानिक प्रश्न का निराकरण किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

4– यहकि, अनावेदिका श्रीमती जानकी खट्टर का जन्म रीवा में हुआ है, ऐसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार केवल अनुविभागीय अधिकारी रीवा को था। किन्तु जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ द्वारा जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था, कि अनावेदिका श्रीमती जानकी खट्टर के हित में जो जाति प्रमाण पत्र राजस्व प्रकरण क्रमांक 1124/बी–121/2012–13 दिनांक 29.12.2012 को जारी किया गया है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित है अथवा नहीं। और अधिकारिता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-775-तीन/2015 जिला उमरिया राजाराम विरूद्ध जानकी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 6851/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 09-04-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-04-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 10.1.19 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर उमरिया के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर उमरिया को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 5.1.19 सदस्य	